

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 369/2021

निर्णय दिनांक : 08.04.2022

जी.सी.एम.एस. नं. 2021/1656

राकेश कुमार

बनाम

किशोर वगै०

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम कीरपुरा पटवार हल्का केड के भूमि ख.नं. 189 रकबा 3.37 है० में वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काशत के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढा गौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.02.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र क्रमांक:- भू०अ०/2022/588 दिनांक 16.03.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया



  
(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनू

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

मुकदमा न०- 369/2021

निर्णय दिनांक : 08.04.2022

जी.सी.एम.एस. नं. 2021/1656

राकेश कुमार

बनाम


किशोर वगै०

दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..-.....निल..... मुबलिक -.....निल.....  
दाबन.-.....निल..... खर्चा इस मुकदमें के  
मय सूद बशरह -.....निल..... फीसदी आज की तारीख से तारीख  
अदायगी तक -.....निल..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत  
व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 04 सन 2022 को जारी की गई।

  
(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी